मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३१ सन् २०१९

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१९

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ..

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २४ का संशोधन.

२. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१)की धारा २४ में,—

(एक) उपधारा (३) में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एक) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;";

(दो) उपधारा (३-क) में, शब्द "प्रबन्ध बोर्ड" के स्थान पर, शब्द "राज्य सरकार" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) की धारा २४ की उपधारा (३) में, समिति के माध्यम से नियमित कुलपति की नियुक्ति का उपबंध है. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है, जबकि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के सफल संचालन के लिए नीति के अवधारण के लिये प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है और विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय उपबंध भी करती है. राज्य सरकार, विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों के लिये जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है. विश्वविद्यालय में सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिनियम की धारा २४ में यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १२ दिसम्बर, २०१९.

जीतू पटवारी
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) से उद्धरण.

* * * *

धारा २४ उपधारा (३)

समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;

(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति.

परंतु कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संबद्ध है, समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा.

धारा २४ उपधारा (३-क)

उपधारा (३) के अधीन समिति गठित करने के लिए, कुलाधिपति, जहां तक संभव हो, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छह माह पूर्व, प्रबंध बोर्ड तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को अपने-अपने नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिये अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई एक या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहते हैं तो इसके पश्चात् कुलाधिपति, यथास्थिति, किसी एक या दोनों व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगा.

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.